[2022] 3 एस. सी. आर. 798

छत्तीसगढ़ राज्य शक्ति वितरण कंपनी लिमिटेड

वि.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियमन आयोग व एक अन्य

(सिविल अपील सं. 2578-2579/2008)

12 मई, 2022

(न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव एवं बी.आर.गवई)

विद्युत अधिनियम, 2003: की धारा 9 सहपठित धारा 2 (8) – विद्युत नियम, 2005 - नियम 3- कैप्टिव उत्पादन संयंत्र - आवश्यकता - एस. बी. पी. आई. एल. एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया और एस. बी. एम. पी. एल. इसकी सहयोगी संस्थान है। एस. बी. पी.आई. एल. के द्वारा अपीलार्थी की पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के चक्रण और खुली पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका - एस. बी. एम. पी. एल. के द्वारा कैप्टिव उपयोग हेतु राज्य विद्युत वितरण कंपनी आयोग द्वारा यह मानते हुए अनुमति दी गई कि एस. बी. पी. आई. एल. अपनी सहयोगी संस्था एस. बी. एम. पी. एल. को बिजली की आपूर्ति करने का हकदार है और इसे धारा 9 के दायरे में स्वयं अपनी खपत के रूप में माना जाएगा। उक्त आदेश - एपीटीईएल द्वारा बरकरार रखा गया -अपील में , अभिनिर्धारित किया गयाः धारा 9 और धारा 2 (8) का संयुक्त पठन से प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति एक कैप्टिव उत्पादन संयंत्र के सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन का हकदार है और ऐसा संयंत्र प्राथमिक रूप से उसके अपने उपयोग के लिए होना चाहिए - एस. बी. एम. पी. एल. , एस. बी. पी. आई. एल. में 27.6 इक्विटी शेयर रखता है, इस प्रकार, एस. बी. एम. पी. एल. द्वारा कम से कम 26 प्रतिशत शेयरों की आवश्यकता को पूर्ण किया जाता है और चूंकि एस. बी. एम. पी. एल. के पास स्वामित्व का 27.6% है, इसलिए उसके द्वारा बिजली का उपयोग कैप्टिव उपयोग के लिए होगा - अन्य आवश्यकता है कि एस. बी. आई. पी. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. की खपत कुल मिलाकर उत्पादित बिजली के 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए और निश्चित रूप से, एस. बी. आई. पी. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. द्वारा संयुक्त खपत 51 प्रतिशत से अधिक है - इस प्रकार, नियम 3 के अंतर्गत प्रावधानित की गई दोनों शर्तें पूर्ण होतीं हैं, इस प्रकार, आयोग और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है।

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 9 को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र एवं अनावृत पारेषण लाइनों का सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन कर सकता है। धारा 9 का प्रथम परंतुक यह

प्रावधान करता है कि ग्रिड के माध्यम से आबद्ध उत्पादन संयंत्र से विद्युत का प्रदाय किसी उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्र की भांति ही विनियमित किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा 9 के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि इस अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों तथा विनियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को तथा धारा 42 की उपधारा 2 के अध्यधीन किसी उपभोक्ता को किसी आबद्ध उत्पादक संयंत्र से उत्पादित विद्युत के प्रदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य व्यक्ति आपेक्षित नहीं होंगी। धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आबद्ध उत्पादन संयंत्र का सन्निर्माण किया है और ऐसे संयंत्र का अनुरक्षण और प्रचालन करता है, उसे आबद्ध उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के प्रयोजनों के लिए निर्बाद्ध पहुंच का अधिकार होगा। धारा 9 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक में प्रावधान है कि ऐसी निर्बाद्ध पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन होगी और पारेषण सुविधा की ऐसी उपलब्धता का यथास्थिति केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्धारित की जायेगी, धारा 9 की उप-धारा (2) का दूसरा परंतुक यह प्रावधान है कि यदि पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में कोई विवाद है, तो इसका न्याय निर्णयन समुचित आयोग द्वारा किया जायेगा। (पैरा 1 1) (807-A-E)

1.2 अधिनियम की धारा 2 का खंड (8) "आबद्ध उत्पादन संयंत्र" को परिभाषित करता है। जिसके अनुसार "आबद्ध उत्पादन संयंत्र" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन करने हेतु स्थापित विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सहाकारी सोसायटी या संगमों के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु किसी सहकारी सोसायटी या संगम द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र भी हैं। (पैरा 12) (807 -E-F)

1.3 अधिनियम की धारा 9 और धारा 2 खंड (8) के संयुक्त पठन से प्रकट है कि एक व्यक्ति आबद्ध उत्पादन संयंत्र के सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन करने का हकदार है, ऐसा संयंत्र प्राथमिक रूप से उसके अपने उपयोग के लिए होना चाहिए। उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (8) में आगे उल्लेख है कि इसमें बिजली उत्पादन के लिए सहकारी सोसायटी या संगम के सदस्यों द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र भी सम्मिलित हैं। परंतु यह आवश्यक है कि यह प्राथमिक रूप से ऐसी सहकारी सोसायटी या संगम के सदस्यों के उपयोग के लिए होना चाहिए। धारा 2 के खंड (49) के तहत "व्यक्ति" की परिभाषा पर्याप्त व्यापक है, जिसमें किसी भी कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति को शामिल किया गया है। (पैरा 13, 14, 15) (807-G-H; 808-A-B)

1.4 किसी व्यक्ति को धारा 9 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, होना चाहिए। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि भले ही आबद्ध विद्युत संयंत्र निगमित निकायों के संगम द्वारा स्थापित किया जा सकता है । परंतु आवश्यकता यह होगी कि उक्त संयंत्र को प्राथमिक रूप से उनके अपने उपयोग के लिए स्थापित किया जाना चाहिए । धारा 42 (2) का चौथा परंतुक यह बताता है कि उस व्यक्ति को खुली पहुंच प्रदान किए जाने की स्थिति में अधिभार नहीं लगाया जाएगा जिसने बिजली को स्वयं के उपयोग में गंतव्य तक ले जाने के लिए एक आब उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। (पैरा 16) (808-B-D)

1.5 विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि कोई भी विद्युत संयंत्र "कैप्टिव उत्पादक संयत्र" के रूप में धारा 9 सहपठित धारा 2 के खंड (8) के अंतर्गत अर्हता प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि उसमें उल्लेखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जाता है। पहली आवश्यकता यह है कि स्वामित्व का कम से कम 26 प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता (ओं) द्वारा धारित हो । दूसरी आवश्यकता यह है कि ऐसे संयंत्र में उत्पन्न कुल बिजली का 51 प्रतिशत से कम नहीं, वार्षिक आधार पर, कैप्टिव उपयोग के लिए उपभोग किया जाता है। नियम 3 (1) (क) (ii) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि व्यक्तियों के संगम की स्थिति में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) के पास कुल मिलाकर संयंत्र के स्वामित्व का कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सा होगा और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) 10 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित बिजली का कम से कम 51 प्रतिशत की खपत करेंगे। (पैरा 19) (809-E-H)

1.6 निश्चित रूप से, एस. बी. एम. पी. एल. के पास एस. बी. पी. आई. एल. में 27.6% इक्विटी शेयर रखती है। इस प्रकार, एस. बी. एम. पी. एल. द्वारा कम से कम 26 प्रतिशत शेयरों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। यहां तक कि निगमित निकायों का संगम भी एक बिजली संयंत्र स्थापित कर सकता है। चूंकि एस. बी. एम. पी. एल. के पास स्वामित्व का 27.6 प्रतिशत रखती है, इसलिए उसके द्वारा बिजली का उपयोग उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत कैप्टिव उपयोग के लिए होगा। अन्य आवश्यकता यह होगी कि एस. बी. आई. पी. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. की संयुक्त खपत उत्पादित बिजली का 51 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से एस. बी. आई. पी. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. द्वारा संयुक्त खपत 51 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार, उक्त नियमों के नियम 3 के अंतर्गत प्रावधान की गई दोनों शर्तों को पूर्ण किया जाता है। (पैरा 20) (809-H; 810-A-B)

1.7 कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में प्रावधान न केवल विश्वसनीय, गुणवत्ता और किफायती विद्युत सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, बल्कि उद्योग के शीघ्र और दक्ष विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन को भी सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 में आगे कहा गया है कि समूह में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित प्रावधान का उद्देश्य एवं लघु और मझौले उद्योगों को किफायती लागत से इष्टतम आकार वाले संयंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनाना है , जो व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति में नहीं है । देश भर में लघु और मझौले उद्योगों के दक्ष विस्तार से रोजगार के विशाल अवसर पैदा होंगे। उक्त नीति के खंड 5.2.26 में आगे कहा गया है कि भारत में कैप्टिव और आरक्षित उत्पादन स्टेशनों की अधिशेष क्षमता है जिसकी आपूर्ति ग्रिड को निरंतर या निश्चित समय अवधि के दौरान की जा सकती है। उक्त नीति, धारा 3 के अंतर्गत द्वारा जारी की जाती है, जिसमें एक वैधानिक स्वाद है। किसी भी मामले में, उक्त नीति अधिनियम की धारा 9 और धारा 2 खंड (8) में निहित प्रावधानों के अनुरूप है। धारा 9 में एक उदार प्रावधान किया गया है ताकि केपिटिव विद्युत संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसा निर्वचन जो अधिनियम के आशय और उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस प्रकार आयोग और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है । (पैरा 22-25) (811-C-H; 812-B)

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड और अन्य **(2022) 2 एससीसी 742**; *प्रशासक, नगर निगम, बिलासपुर बनाम। दत्तात्रेय दहनकर, अधिवक्ता और अन्य* **(1992) 1 एस. सी. सी. 361: [1991] 3 पूरक एससीआर 112**; *एस. गोपाल रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य* **(1996) 4 एस. सी. सी 596: [1996] 3 पूरक एस. सी. आर. 439;** *अहमदाबाद नगर निगम और एक अन्य वि. निलयभाई आर. ठाकुर और एक अन्य* **(1999) 8 एससीसी 139: [1999] 3 पूरक एस. सी. आर. 647-संदर्भित।**

मामला संदर्भित

(2022) एस. सी. सी. 742	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 8**
[1991] 3 पूरक। एससीआर 112	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 24**
[1996] 3 पूरक। एससीआर 439	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 24**
[1999] 3 पूरक। एससीआर 647	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 24**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील क्रमांक 2578- 2579 2008

विद्युत अधिकरण नई दिल्ली की अपील क्रमांक 164 / 2007 और पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 1/ 2007 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.12.2007 से उदभूत।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपूर्व कुरुप, सुश्री निधि मित्तल, ओजस्वा पाठक, धनंजय बैजल, सुश्री अपर्णा अरुण।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन आर. नाथ, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री स्वप्ना शेषादारी, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री देवी नायर, आदित्य दुबे, मनीष पालीवाल, विकास कुमार, निखिल शर्मा,

निर्णय **न्यायमूर्ति बी. आर. गवई,** द्वारा पारित किया गया।

1. इन अपीलों में विद्युत अपीलीय अधिकरण (एतस्मिन् पश्चात् "ए. पी. टी. ई. एल". से संबोधित) के निर्णय दिनांक 6 दिसंबर 2007 को चुनौती दी गई। जिसमें वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया गया।

2. वर्तमान अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

मेसर्स श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड (एतस्मिन् पश्चात् "एस. बी. पी. आई. एल" से संबोधित) ने एक कैप्टिव जनरेशन प्लांट स्थापित किया है। मेसर्स श्री बजरंग मेटालिक्स एंड पावर लिमिटेड (एतस्मिन् पश्चात् "एस. बी. एम. पी. एल" में संदर्भित) एस. बी. पी. आई. एल. की एक सहयोगी संस्था है। एस. बी. पी. आई. एल. ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (एतस्मिन् पश्चात् "आयोग" के रूप में संदर्भित) में याचिका दायर कर अपीलार्थी की पारेषण प्रणाली के माध्यम से एस. बी. एम. पी. एल. द्वारा कैप्टिव उपयोग के लिए विद्युत की खुली पहुंच और चक्रण प्रदान करने की अनुमति

चाही गई। एस. बी. पी. आई. एल. की याचिका एस. बी. एम. पी. एल. को 19 लाख यूनिट 13 मेगावाट के चक्रण की अनुमति के लिए थी। उक्त याचिका में कहा गया था कि एस. बी. एम. पी. एल. के पास एस. बी. पी. आई. एल. के इक्विटी शेयरों का 27.6 प्रतिशत है। और उनके द्वारा आबद्ध उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का 51 प्रतिशत से अधिक खपत की जायेगी। यह प्रस्तुत किया गया था कि एस. बी. पी. आई. एल. द्वारा स्थापित कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 103.68 एम. यू. होगी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उक्त 103.68 एम. यू. प्रति वर्ष उत्पन्न विद्युत में से, 13.22 एम. यू. प्रति वर्ष उसके स्पंज, आयरन संयंत्र के द्वारा उपयोग किया जाएगा। यह आगे व्यक्त किया गया कि एस. बी. एम. पी. एल. को 54 एम. यू. प्रति वर्ष की आपूर्ति अपीलार्थीगण के ग्रिड के माध्यम से की जाएगी और शेष अपीलार्थी को बेची जाएगी।

3. उक्त याचिका का अपीलार्थी ने विरोध किया। अपीलार्थी द्वारा यह तर्क किया गया कि एस. बी. पी. आई. एल., कंपनी में 72 प्रतिशत से अधिक शेयरों में हिस्सेदारी रखता है। हालांकि उसका उपभोग 14.16 प्रतिशत (13.22 एम.यू.) तक ही सीमित रहेगा किंतु एस.बी.एम.पी.एल. जो कि २७.६७ प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी रखता है उसका उपभोग 57.87 प्रतिशत (54 एम.यू.) रहेगा। यह व्यक्त किया गया था कि यह विद्युत संयंत्र के स्वामित्व के अनुपात में नहीं था।

4. आयोग ने 14 अक्टूबर 2005 के अपने आदेश के माध्यम से अपीलार्थी के तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि एस. बी. पी. आई. एल. अपनी सहयोगी कंपनी एस. बी. एम. पी. एल. को बिजली की आपूर्ति करने की हकदार है और यह विद्युत अधिनियम की धारा 9 सहपठित धारा 2 (8) (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के (इसके बाद "उक्त नियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत "स्वयं के उपभोग" की श्रेणी में आयेगा। उक्त याचिका को स्वीकार करते हुए आयोग ने निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कीं:

(क) कैप्टिव प्रयोक्तागण द्वारा वित्तीय वर्ष में विद्युत की खपत 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी और यदि ऐसा नहीं होता है तो यह नियम 3 (2) के प्रावधान के अंतर्गत 'उत्पादन कंपनी' द्वारा बिजली की आपूर्ति के रूप में माना जायेगा।

(ख) सी. एस. ई. बी. वर्तमान दर से विद्युत के चक्रण और अन्य शुल्कों के मांग करने की हकदार है , जो कि विनियम में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत पुनरीक्षण योग्य होगा। खुली पहुंच पर शुल्क आयोग द्वारा जल्द ही अधिसूचित किया जायेगा।

(ग) कम्पनी, वर्तमान शर्तों के अनुसार सी. एस. ई. बी. के साथ शेष विद्युत के विक्रय के संबंध में आवश्यक समझौता कर सकती है, जो कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्देशों के तहत संशोधन के अधीन रहते हुए पुनरीक्षण योग्य है।

5. इससे व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने ए. पी. टी. ई. एल. के समक्ष अपील की। उक्त अपीलें ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा निर्णय दिनांक 6 दिसंबर 2007 के द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपीले प्रस्तुत की गयी है।

6. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री निखिल नय्यर को और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन आर. नाथ तथा प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती. स्वप्ना शेषादारी को सुना।

7. श्री नय्यर ने तर्क किया कि आयोग द्वारा पारित आदेश और एपीटीईएल द्वारा पारित निर्णय उक्त नियमों के नियम 3 में प्रयुक्त साधारण भाषा के विपरीत है। उन्होंने कहा कि एस. बी. एम. पी. एल., एस. बी. पी. आई. एल. की सहयोगी संस्था है जिसने कैप्टिव पावर संयंत्र की स्थापना की है। यह व्यक्त किया कि जब तक एस. बी. पी. आई. एल. अपने द्वारा उत्पादित कुल बिजली का 51 प्रतिशत उपभोग नहीं करता है, तब तक वह उक्त अधिनियम की धारा 9 के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा। उन्होंने व्यक्त किया कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) में "कैप्टिव उत्पादन संयत्र " शब्द का उपयोग किया गया है। उन्होनें यह व्यक्त किया कि उक्त नियमों के नियम 3 की स्पष्ट और शाब्दिक निर्वचन पर, यह अधिक स्पष्ट होता है कि जब तक सहयोगी संस्था उत्पादित बिजली का 51 प्रतिशत का उपयोगीकरण , आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित नहीं करता है वह अधिनियम की धारा 9 के तहत लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

8. श्री नाथ ने यह तर्क किया कि आयोग के साथ-साथ एपीटीएल ने उक्त अधिनयम एवं नियम का सही निर्वचन किया है। उन्होंने व्यक्त किया कि ***महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बनाम जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड और अन्य*** के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए आयोग से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस न्यायालय ने यह भी माना है कि जहां तक कैप्टिव प्रयोक्तओं का संबंध है वे लोग उक्त अधिनियम की धारा 42 (4) के अंतर्गत अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

9. श्रीमती शेषाधारी, आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया कि यदि अपीलार्थी की ओर से किये गए तर्क स्वीकार किए जाते है तो यह उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा। उन्होंने यह भी तर्क किया कि इसलिए आयोग द्वारा पारित आदेश और ए. पी. टी. ई. एल. द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने के लिए, धारा 2 के खंड (8) और (49) के साथ-साथ उक्त अधिनियम की धारा 42 एवं धारा 9 के उपखंड (1) और (2) का संदर्भ लिया जाना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है :

" 2. **परिभाषाएँ।**

---

(8) " आबद्ध उत्पादन संयंत्र" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए स्थापित विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी सहकारी सोसायटी को या व्यक्ति-संगम द्वारा ऐसी सहकारी सोसायटी या संगम के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत का उत्पादन करने के लिए स्थापित विद्युत संयंत्र भी हैं।

---

(49) "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई कंपनी, या निगम, निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति आता है।

(9) **" आबद्ध उत्पादन"** -- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी आबद्ध उत्पादन संयंत्र या समर्पित पारेषण लाइनों का सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन कर सकेगा।

परंतु ग्रिड के माध्यम से आबद्ध उत्पादन संयत्र से विद्युत का प्रदाय किसी उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्र की भांति ही विनियमित किया जायेगा।

परंतु यह और कि इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन निर्मित नियमों तथा विनियमों के अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को तथा धारा 42 की उपधारा (2) के अध्यधीन किसी उपभोक्ता को किसी आबद्ध उत्पादक संयंत्र से उत्पादित विद्युत के प्रदाय के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी।

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने आबद्ध उत्पादन संयंत्र का सन्निर्माण किया है और ऐसे संयंत्र का अनुरक्षण और प्रचालन करता है, अपने आबद्ध उत्पादन संयंत्र से अपने उपयोग के गंत्व्य तक विद्युत ले जाने के प्रयोजनों के लिए निर्वाद्य पहुंच का अधिकार होगा।

परंतु ऐसी निर्वाद्य पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन रहते हुए होगी और ऐसी पारेषण सुविधा की ऐसी उपलब्धता का, यथास्थिति केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अवधारण किया जायेगा।

परंतु वह और कि पारेषण सुविधा की उपलब्धता से संबंधित किसी विवाद का न्याय निर्णयन समुचित आयोग द्वारा किया जायेगा।

42. **वितरण लाइसेंसधारी के कर्तव्य और खुली पहुंच** - (1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने प्राधिकृत क्षेत्र में एक दक्षतापूर्ण, समन्वित और कम खर्चीली वितरण प्रणाली विकसित करे और उसे बनाये रखे तथा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विद्युत का प्रदाय करे।

(2) राज्य आयोग खुली पहुंच ऐसे चरणों में ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, आरम्भ करेगा, (जिसके अंतर्गत प्रति सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध हैं) जो उसके द्वारा नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट की जाएं और उत्तरोत्तर चरणों में खुली पहुंच की सीमा को विनिर्दिष्ट करने में और चक्रण के लिए वितरण प्रभारों का अवधारण करने में, वह सभी सुसंगत बातों पर सम्यक रूप से विचार करेगा, इसके अंतर्गत ऐसी प्रति सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध है।

परंतु ऐसी खुली पहुंच राज्य आयोग द्वारा तथा अवधारित चक्रण के लिए प्रभारों के अलावा किसी अधिभार का संदाय करने पर अनुज्ञात की जायेगी।

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार का उपयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय क्षेत्र के भीतर चालू स्तर की प्रति सहायिकी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार और प्रति सहायिकी राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति से उत्तरोत्तर घटाई जायेगी।

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उदग्रहणीय नहीं होगा, जहां खुली पहुंच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के लिए, वितरण के लिए, ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003, की प्रंभता दिनांक से पांच वर्षों के पश्चात नहीं विनियमों द्वारा, सभी उपभोक्ताओं को ऐसी स्वतंत्र पहुंच

उपबंधित करेगी जिसकों विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता है। जहां किसी भी समय उपलब्ध की जाने वाली विद्युत 1 मेगावाट से अधिक होती है।

....."

11. इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 9 के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और अनावृत पारेषण लाइनें का सन्निर्माण, अनुरक्षण या प्रचालन कर सकता है। उक्त अधिनियम की धारा 9 के पहले परंतुक में यह प्रावधान है कि ग्रिड के माध्यम से कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से विद्युत का प्रदाय उसी प्रकार से विनियमित किया जाएगा जैसे उत्पादन कंपनी के उत्पादन केंद्र को किया जाता है। उक्त अधिनियम की धारा 9 के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार तथा उक्त अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के आधीन, किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को आबद्ध उत्पादन संयंत्र से उत्पन्न विद्युत के प्रदाय के लिए उक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति का, जिसने एक कैप्टिव उत्पादन संयत्र का सन्निर्माण किया है और उसका अनुरक्षण और प्रचालान करता है, विद्युत को उसके कैप्टिव जनरेशन प्लांट से उसके उपयोग के गंतव्य तक ले जाने के प्रयोजन के लिए उसके पास निर्वाद्य पहुंच का अधिकार होगा। उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक में प्रावधान है कि ऐसी निर्वाद्य पहुंच पर्याप्त पारेषण सुविधा की उपलब्धता के अधीन रहते हुए होगी और ऐसी पारेषण सुविधा की उपलब्धता का, यथास्थिति केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा अवधारण किया जायेगा, जैसा भी मामला हो। उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि यदि पारेषण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में कोई विवाद है, तो उस पर समुचित आयोग द्वारा न्याय निर्णयन किया जाएगा।

12. उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (8) "आबद्ध उत्पादन संयंत्र" को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि "आबद्ध उत्पादन संयंत्र" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन करने हेतु स्थापित विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत सहकारी सोसायटी या संगमों के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत शक्ति का उत्पादन करने हेतु किसी सहकारी सोसयटी या संगम द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र है।

13. उक्त अधिनियम की धारा 2 का खंड (49) "व्यक्ति" को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया है कि "व्यक्ति" में कोई भी कंपनी या निगमित निकाय या संगम , व्यक्तियों का संघ या निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति शामिल होगा।

14. उक्त अधिनियम की धारा 9 और धारा 2 के खंड (8) के संयुक्त अध्ययन से प्रकट होता है कि एक व्यक्ति आबद्ध उत्पादन संयंत्र के सन्निर्माण् , अनुरक्षण और प्रचालन का हकदार है। ऐसा संयंत्र प्राथमिक रूप से उसके अपने उपयोग के लिए होना चाहिए । उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) में आगे बताया है कि इसमें कोई भी सहकारी समिति या व्यक्तियों के संगम द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र शामिल है । आवश्यकता यह है कि यह प्राथमिक रूप से ऐसी सहकारी समिति या संघ के सदस्यों के उपयोग के लिए होना चाहिए।

15. "व्यक्ति" की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें कोई भी कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति शामिल हो सकता है।

16. अतः यह स्पष्ट है कि उक्त् अधिनियम की धारा 9 का लाभ लेने के लिए व्यक्ति एक व्यक्तिगत रूप से या निगमित निकाय या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, हो सकता है । अतः निगमित निकायों का संगम भी आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित कर सकता है। परंतु आवश्यकता केवल यह है कि उक्त् संयंत्र प्राथमिक रूप से उनके अपने उपयोग के लिए स्थापित किया गया हो । उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 2 का चौथा परंतुक बताता है कि जहां खुली पहुंच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के लिए, आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है । ऐसे मामले में अधिभार उदगृहणीय नहीं होगा।

17. इसलिए, सवाल यह उठेगा कि क्या एस. बी. पी. आई. एल. से एस. बी. एम. पी. एल. तक बिजली पारेषित करने के लिए खुली पहुंच अपने उपयोग के लिए हो या नहीं।

18. हम पाते हैं कि उक्त नियमों का नियम 3 स्थिति को स्पष्ट करेगा, जो इस प्रकार है-

> **3. कैप्टिव उत्पादक संयंत्र की आवश्यकताएं-** (1)कोई भी विद्युत संयंत्र अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (8) के साथ पठित धारा 9 के अधीन तब तक "कैप्टिव उत्पादक संयत्र" के रूप में अर्हक नहीं होगा -

(क) विद्युत संयंत्र के मामले में -

(i) स्वामित्व का कम से कम छब्बीस प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता(ओं) द्वारा धारित है, और

(ii) वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम से कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिए की जाती है-

बशर्ते कि पंजीकृत सहकारी सोसायटी द्वारा स्थापित विद्युत संयंत्र के मामले में उपर पैराग्राफ (i) और (ii) के अधीन उल्लिखित शर्तों की पूर्ति सहकारी सोसायटी के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से की जायेगी। :

आगे बशर्ते कि व्यक्तियों के संघ के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्तागण) संयंत्र के कुल कम से कम छब्बीस प्रतिशत का स्वामित्व धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोग) दस प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत के कम से कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे -

(ख) ऐसे उत्पादक स्टेशन के मामले में जिसका स्वामित्व ऐसे उत्पादक स्टेशन के लिए विशेष प्रयोजन साधन के रूप मे गठित कंपनी द्वारा किया जाता है, कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात ऐसे उत्पादक स्टेशन की यूनिट अथवा यूनिटें निम्नलिखित सहित उपखण्ड (क) के पैराग्राफ (i) और (ii) में विहित शर्तें पूरी करती है न कि सम्पूर्ण उत्पादक स्टेशन।

स्पष्टीकरण - (1) कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा खपत की जाने वाली अपेक्षित विद्युत का निधार्रण कैप्टिव प्रयोग के लिए अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों द्वारा कुल खपत के संदर्भ में किया जायेगा न कि संपूर्ण उत्पादक स्टेशन के सन्दर्भ् में ; और

(2) उत्पादक स्टेशन में कैप्टिव प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित इक्विटी शेयर कैप्टिव उत्पाद संयंत्र के रूप में अभिज्ञात उत्पादक यूनिट अथवा यूनिटों में सम्बद्ध कंपनी की इक्विटी के समानुपात का छब्बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा।।

19. उक्त नियमों के नियम 3 के उप-नियम (1) में प्रावधान है कि कोई भी बिजली संयंत्र उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) सहपठित धारा 9 के तहत "कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट" के रूप में तब तक अर्हक नहीं होगा जब तक कि उसमें बताई गई शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। पहली आवश्यकता यह

है कि स्वामित्व का कम से कम छब्बीस प्रतिशत कैप्टिव प्रयोक्ता(प्रयोक्ताओं) द्वारा धारित है, और दूसरी आवश्यकता यह है कि वार्षिक आधार पर निर्धारित ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल विद्युत के कम से कम इक्यावन प्रतिशत की खपत कैप्टिव प्रयोग के लिए की जाती है। उक्त नियमों के नियम 3 (1) (क) (ii) के दूसरे परंतुक में प्रावधान है कि व्यक्तियों के संगम के मामले में, कैप्टिव प्रयोक्ता (ओं) संयंत्र के कुल कम से कम 26 प्रतिशत का स्वामित्वच धारित करेंगे और ऐसे कैप्टिव प्रयोक्ता 10 प्रतिशत की भिन्नता के भीतर विद्युत संयंत्र के स्वामित्व में अपने हिस्से के समानुपात में वार्षिक आधार पर निर्धारित उत्पादित विद्युत से कम से कम इक्यावन प्रतिशत की खपत करेंगे।

20. निश्चिचत रूप से, एस. बी. एम. पी. एल. के पास एस. बी. पी. आई. एल. में 27.6% इक्विटी शेयर हैं। इस प्रकार, कम से कम 26 प्रतिशत शेयरों की आवश्यकता को एसबीएमपीएल द्वारा पूर्ण किया जाता है। जैसा कि पूर्व में ही विवेचना की जा चुकी है । निगमित निकायों का एक संघ भी विद्युत संयंत्र स्थापित कर सकता है। चूँकि एस. बी. एम. पी. एल. स्वामित्व का 27.6 प्रतिशत रखता है, उसके द्वारा बिजली का उपयोग उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कैप्टिव उपयोग के लिए होगा। अन्य आवश्यकता यह होगी कि एस. बी. आई. पी. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. की कुल खपत उत्पादित बिजली के 51 प्रतिशत से कम न हो। निश्चित रूप से एस. बी. आई. पी. एल. और एस. बी. एम. पी. एल. की संयुक्त खपत 51 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार, उक्त नियमों के नियम 3 के अंतर्गत प्रावधान की गई दोनों शर्तों को पूर्ण किया जाता है।

21. हम पाते हैं कि भारत सरकार द्वारा 12 फरवरी 2005 को उक्त अधिनियम की धारा 3 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 (जिसे आगे "उक्त नीति" के रूप में संदर्भित किया गया है) का उल्लेख करना भी उचित होगा। । खंड 5.2.24 से 5.2.26 "कैप्टिव जेनरेशन" से संबंधित है, जो इस प्रकार है :

कैप्टिव विद्युत उत्पादन

5.2.24 **कैप्टिव विद्युत उत्पादन न केवल उद्योग हेतु विश्वसनीय, गुणवत्तापरक और किफायती विद्युत सुनिश्चित किये जाने हेतु बल्कि उद्योग के शीघ्र व दक्ष विकास के जरिए रोजगार के अवसरों के सृजन को सुगम बनाने की दृष्टि से भी कैप्टिव संयंत्रों की स्थापना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में उदार प्रावधान बनाये गए हैं।**

5.2.25 **समूह में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित प्रावधान का उद्देश्य ऐसे लघु और मझौले उद्योगों को किफायती लागत से इष्टतम आकार वाले संयंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनाना है, जो इस स्थिति में नहीं है। यह नोट करने की**

आवश्यकता है कि देश भर में लघु और मझौले उद्योगों का दक्ष विस्तार करने से अधिकारिक रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

5.2.26 **भारत के कई कैप्टिव और आरक्षित विद्युत उत्पादक स्टेशनों में अधिशेष क्षमता है जिसकी आपूर्ति कुछ समय अवधियों के दौरान ग्रिड को निरंतर की जा सकती है । इन संयंत्रों में पयार्प्त और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विद्यमान है जिनका दोहन विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए किया जा सकता है । कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को अधिनियम के अंतर्गत खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं और लाइर्सेसधारियों तक पहुंच प्राप्त है । कैप्टिव विद्युत उत्पादकों के लिए ग्रिड इंटर कनेक्शनों को अधिनियम की धारा 30 के अनुसार सुगम बनाया जायेगा ।** ऐसा प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कैप्टिव विद्युत उत्पादन ग्रिड के साथ वितरित विद्युत उत्पादन के रूप में उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से सह विद्युत उत्पाद समेत अपारंपरिक उर्जा का इस्तेमाल करने के लिए लाइर्सेंसधारक और कैप्टिव विद्युत उत्पादकों के बीच यथोचित वाणिज्यिक व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता होगी। उपयुक्त विनियामक आयोग कैप्टिव विद्युत उत्पादकों और लाइसेंसधारियों के बीच होने वाले ऐसी वाणिज्यिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रकीय अवलोकन करेगा और लाइसेंसधारी द्वारा कैप्टिव संयंत्रों से विद्युत खरीदे जाने पर टैरिफ का निर्धारण करेगा।

(विशेष बल दिया गया)

22. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना के संबंध में प्रावधान न केवल विश्वसनीय, गुणवत्ता और किफायती विद्युत सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है, बल्कि उद्योग के शीघ्र और दक्ष विकास के माध्यम से रोजगार के अवसरों के सृजन को भी सुगम बनाने के लिए बनाया गया है। उक्त नीति में आगे कहा गया है कि समूह में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित प्रावधान का उद्देश्य एवं लघु और मझौले उद्योगों को किफायती लागत से इष्टतम आकार वाले संयंत्र की स्थापना करने में सक्षम बनाना है , जो व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति में नहीं है । देश भर में लघु और मध्यम उद्योगों के दक्ष विस्तार से रोजगार के विशाल अवसर पैदा होंगे। उक्त नीति के खंड 5.2.26 में आगे कहा गया है कि भारत में कैप्टिव और आरक्षित विद्युत उत्पादन स्टेशनों की अधिशेष क्षमता है जिसकी आपूर्ति ग्रिड को निरंतर या निश्चित समय अवधि के दौरान की जा सकती है।

23 . उक्त नीति, धारा 3 के अंतर्गत जारी की जाती है, जिसमें एक वैधानिक स्वाद है। किसी भी मामले में, उक्त नीति अधिनियम की धारा 9 और धारा 2 खंड (8) में निहित प्रावधानों के अनुरूप है।

धारा 9 में एक उदार प्रावधान किया गया है ताकि कैप्टिव विद्युत संयंत्र की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके।

24 . विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसा निर्वचन जो अधिनियम के आशय और उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में **प्रशासक, नगर निगम, बिलासपुर बनाम दत्तात्रेय दहनकर, अधिवक्ता और अन्य 2, एस. गोपाल रेड्डी बनाम। ए. पी. 3 राज्य और अहमदाबाद नगर निगम और एक अन्य v. निलयभाई आर. ठाकुर और एक अन्य** के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है।

25. इसलिए, हमारे अनुसार, आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2005 और एपीटीईएल द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 6 दिसंबर 2007 में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

26. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलें गुणरहित पाई जाती हैं और इसलिए खारिज की जातीं हैं।

27. लंबित आवेदन (नों) , यदि कोई हों, उपरोक्त शर्तों में निराकृत किये जाते हैं। परिव्यय के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील खारिज

अनुवादक–

राहुल सोनी (वरिष्ठ)
पंचम व्यवहार न्यायाधीश
कनिष्ठ खंड सागर

(1992)1SCC 361

(1996) 4 SCC 596

(1999) 8 SCC 139